शिलांग, 27 जून, 2005

सा.का. नि. 242.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग (वर्ग 'क' पद) भर्ती नियम, 1983 और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग (वर्ग 'क' भर्ती) नियम 1984, जहां तक वे सांख्यिकीविद् और एक्सटेशन आफिसर (भूकंप विज्ञान) के पदों के संबंध में हैं का अधिक्रमण करते हुए परन्तु ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने के लिए आस्थगित बातों को छोड़कर राष्ट्रपति एतद्द्वारा पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग में सांख्यिकीविद् और एक्सटेंशन आफिस (भूकंप विज्ञान) के पदों पर भर्ती को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते है, नामतः :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग वर्ग 'क' सांख्यिकीविद् और एक्सटेशन आफिसर (भूकंप विज्ञान) पद भर्ती नियम, 2005 कहा जाएगा।

(2) ये भर्ती नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम, संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता आदि.**—उक्त पदों की भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वोक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।

5. **निरर्हता .**— जिसने,—

(क) किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो जिसके पति/पत्नी जीवित हों या

(ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया हो,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है, इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्र सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक और समीचीन है, वहां लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्र सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों से केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा विशेष श्रेणी के अन्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

1	2	3	4	5	6
2. एक्सटेंशन ऑफिसर (भूकंप विज्ञापन)	01* (2005) *कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर आ सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'क' राजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय	रु. 8,000-275-13,500	प्रवरण	अधिकतम 35 वर्ष नोट 1 : केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय। नोट 2 : आयु निर्धारण की निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि होगी परन्तु असम, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश, के चंबा लाहौल और स्पीति जिले के पांगी सब डिवीजन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि इससे अलग होगी।

7	8	9	10
नहीं	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से भौतिक शास्त्र या गणित या भूभौतिकी या सांख्यिकी में मास्टर डिग्री (ii) भूकंप विज्ञान के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव नोट 1 : उम्मीदवारों के अन्यथा सुयोग्य होने पर संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताओं को शिथिल किया जा सकता है। नोट 2 : यदि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग को लगता है कि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अनुभव संबंधी योग्यताओं में छूट दी जा सकती है।	लागू नहीं	सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले और प्रोन्नति द्वारा तैनात होने वाले अधि-कारियों के लिए एक वर्ष

11	12
प्रोन्नति द्वारा ऐसा न हो सकने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा। इन दोनों स्थितियों के अभाव में सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा सहित वरिष्ठ तकनीकी सहायक नोट 1 : संशोधित नियमों के अधिसूचित होने की तारीख को फीडर पद पर नियमित रूप से नियुक्त लोगों के लिए सात वर्षों की अर्हता सेवा बनी रहेगी। नोट 2 : जहां कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपेक्षित योग्यता या अर्हता सेवा पूरी करने के कारण प्रोन्नति के लिए उनके नामों पर विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ अधिकारियों के नामों पर भी विचार किया जाएगा परंतु शर्त यह है उनकी अर्हता सेवा निर्धारित योग्यता या अर्हता सेवा के आधे या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति की अर्हता सेवा पूरी करने वाले अपने कनिष्ठ अधिकारियों के समान उन्होंने भी अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए सफलतापूर्वक परिवीक्षा पूरी की हो।

12

प्रतिनियुक्ति : 1. केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी जो :—

(क) (i) पैतृक संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों; या

(ii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 6,500—10,500 के वेतनमान के पद या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों; या

(iii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 5500—9000 के वेतनमान वाले पद या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद आठ वर्ष की सेवा कर चुके हों; और

(ख) कालम 8 के अंतर्गत विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों:

नोट : -विभागीय अधिकारी जो फीडर कोटि में हैं और जो प्रोन्नति के लिए सीधी लाइन में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में नियुक्ति के तत्काल पहले अन्य नि:संवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13	14
वर्ग 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) 1. अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. सचिव, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय —सदस्य 3. निदेशक या उप सचिव, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय —सदस्य **वर्ग 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए)** 1. सचिव, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय —अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय —सदस्य	पद भरने या इन भर्ती नियमों के किसी प्रावधान को संशोधित या शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. एनईसी/एडीएम/9/2003]

राजीव माथुर, उप सचिव

Shillong, the 27th June, 2005

G.S.R. 242.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 1983, and North Eastern Council Secretariat, Shillong Group 'A' Recruitment) Rules, 1984, in so far as they relate to the posts of Statistician and Extension Officer (Seismology) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Statistician and Extension Officer (Seismology) in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Group 'A'- Statistician and Extension Officer (Seismology) Post Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number, of posts,classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

1	2	3	4	5	6
2. Extension Officer (Seismology)	01* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 8,000-275-13,500.	Selection	Not exceeding 35 years. **Note 1 :** Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

7	8	9	10
No	**Essential :** (i) Master's Degree in Physics or Mathematics or Geophysics or Statistics from a recognised University or equivalent: (ii) Three year's experience in the field of Seismology. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not available to fill up the posts reserved for them.	Not applicable	One year for direct recruits and promotees.

11	12
Promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	**Promotion :** Senior Technical Assistant with eight years' regular service in the grade. **Note 1 :** The eligibility service shall continue to be seven years for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules. **Note 2 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation :** Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories : (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in the scale of pay of Rs. 6500-10500 or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in the scale of pay of Rs. 5500-9000 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8. **Note :** Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

12
(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation or contract shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

13	14
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) : 1. Chairman or Member, UPSC —Chairman 2. Secretary, Noth Eastern Council Secretariat —Member 3. Director or Deputy Secretary, North Eastern Council Secretariat —Member **Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :** 1. Secretary, Noth Eastern Council Secretariat —Chairman 2. Director or Deputy Secretary, North Eastern Council Secretariat —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post and for amendment or relaxation of any provision of these Recruitment Rules.

[F. No. NEC/ADM/9/2003]

RAJEEV MATHUR, Dy. Secy.